निर्णय ब इजलास सिद्धार्थ महाजन आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 121/2017 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामजीलाल पुत्र श्री रामधन, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी श्री कमलेश शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 6 पुष्पाजंली कालोनी, महेश नगर के पास, जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सं. 15/2017 ब उनवानी रामजीलाल शर्मा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार फागी को अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री रामअवतार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 16.11.2017

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 15/2017 उनवानी रामजीलाल बनाम सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को धमकी दी कि मेरे पति सरकारी विभाग में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है। मैने पूर्व मे भी तहसीलदार से मेरे मन मुताबिक आदेश पारित करवा लिया व अब इस न्यायालय से भी स्टे हटवा दूंगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जल्दी से जल्दी तारीखे प्रदान की जा रही है तथा प्रकरण शीघ्र निस्तारण पर अग्रेषित है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। *पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।*

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा न्यायालय में विचाराधीन अपील में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और उभय पक्षों की उपस्थिति में तारीख पेशियां सद्भाविक रूप से दी गई है। इसके बावजूद भी यदि प्रार्थी को इस न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है तो विचारण प्रकरण को अन्यत्र किसी न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

5. प्रार्थी अधिवक्ता को सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सिद्धार्थ महाजन)
जिला कलक्टर
जयपुर